



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शराब बिक्री/परिवहन में लिप्त दो अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी बिसवां के निकट पर्यवेक्षण में थाना रेउसा पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब बिक्री/परिवहन जैसे अपराधों में लिप्त 02 अभियुक्तगण 1.लवकुश पुत्र परमेश्वर 2.सत्यप्रकाश पुत्र मोल्हे नि0गण चंद्रसैनी थाना रेउसा सीतापुर के विरुद्ध विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना रेउसा पर 340/2021 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। इनके विरुद्ध अवैध शराब बिक्री/परिवहन में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगण की सम्पत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. लवकुश पुत्र परमेश्वर नि0 चंद्रसैनी थाना रेउसा सीतापुर
2. सत्यप्रकाश पुत्र मोल्हे नि0 चंद्रसैनी थाना रेउसा सीतापुर

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 340/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना महोली जनपद सीतापुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 95/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर
2. मु0अ0सं0 340/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना रेउसा सीतापुर